126

R-1504-I/16

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– हरीसिंह तनय बाबूलाल लोधी ,

निबासी–ग्राम नाउढाना, तहसील मालथौन जिला सागर म0 प्र0

2– श्रीमति शांतिबाई पुत्री हरीसिंह पत्नि कुंजन सिंह लोधी ,

निबासी ग्राम बांसादेही, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन

.....आवेदकगण

वनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार मालथौन जिला सागर

2– जयसिंह तनय अनंदी सिंह लोधी ,

निबासी–ग्राम डुंगासरा , तहसील जिला सागर म0 प्र0

..... अनावेदकण

**निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–**

**आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–**

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय मालथौन, जिला सागर द्वारा कमशः नामांतरण पंजी कमांक 18 पर पारित आदेश दिनांक 18/01/2016 एवं नामांतरण पंजी कमांक 22 पर पारित आदेश दिनांक 24/02/2016 से परिवेदित होकर कर रहे है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक कमांक एक एवं आवेदिका कमांक 02 आपस में पिता पुत्री हैं। आवेदिका कमांक 02 का बिवाह ग्राम बांसादेही, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन में हो गया है , जहां वह निबास करती है।

3– यह कि आवेदक कमांक एक के नाम से ग्राम नाउढाना, तहसील मालथौन, जिला सागर में बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमि, भूमि स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जिस पर आवेदक कमांक एक काबिज व मालिक

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1501/I/2016 जिला – सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>**हरिसिंह व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन व अन्य** | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16-5-16 | 1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालथौन, जिला सागर द्वारा ग्राम नाउढाना, की संशोधन पंजी कमांक 18 पर पारित आदेश दिनांक 18/01/2016 तथा संशोधन पंजी कमांक 22 पर पारित आदेश दिनांक 24/02/2016 के बिरूद्व प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं आधारों को दुहराया है जो निगरानी मीमों में लेख किये गये हैं। निगरानी एवं उसके साथ संलगन दस्तावेजों का अवलोकन अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में किया गया।<br><br>2– यह कि आवेदकगण के अनुसार आवेदक कमांक एक हरिसिंह एवं आवेदिका कमांक दो शांति आपस में पिता पुत्री हैं। आवेदक कमांक एक के नाम से ग्राम नाउढाना, तहसील मालथौन, जिला सागर में 113, 128, 136, 138, 150, 159, 175, 215, 236, 242, 342, 681, 688, रकवा 7.80 हैक्टेयर भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। पटवारी हल्का द्वारा सूखा राहत राशि के नाम पर पंजी एवं अन्य बहुत से कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाकर उसके नाम की भूमि, संशोधन पंजी कमांक 18 पर पारित आदेश दिनांक 18/01/2016 के द्वारा आवेदक कमांक एक हरिसिंह के स्थान पर आवेदिका कमांक 02 शांति के नाम पर नामांतरण कराया गया है। जिसके उपरांते फर्जी महिला को खड़ा करके खसरा नंबर 681, 688, 236 रकवा 1.53 हैक्टेयर का बिकय पत्र उप पंजीयक सागर के यहां से दिनांक 03/02/2016 को पंजीबद्व करवा कर पंजी कमांक 22 पर पारित आदेश दिनांक 24/02/2016 के द्वारा नामांतरण नियमों का पालन किये बगैर ही केता/अनावेदक कमांक 02 के नाम पर दर्ज करवा दी गई है, जो कि भूमि बिकय करने का प्रयास कर रहा है। जिनके बिरूद्व कलेक्टर सागर एवं पुलिस अधिक्षक सागर एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायती आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।<br><br>3– यह कि मैंने दोंनों प्रश्नाधीन संशोधन पंजियों का अवलोकन | |

किया। संशोधन पंजी क0 18 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं है कि तहसीलदार द्वारा किस प्रावधान के तहत आदेश पारित किया है। मात्र सहमति के आधार पर एक ब्यक्ति की भूमि दूसरे के नाम पर नामांतरित नहीं की जा सकती , इस प्रकार के नामांतरण से शासन को जो राशि पंजीयन के रूप में प्राप्त होना थी उसकी क्षति हुई है। संहिता की धारा 178 में भी मात्र दो सहभूमि स्वामियों की भूमि का बंटवारा किया जा सकता है, जबकि इस प्रकरण में संपूर्ण भूमि मात्र आवेदक कमांक एक हरिसिंह के नाम पर दर्ज थी, जो पूरी की पूरी आवेदिका कमांक 02 शांति के नाम पर की गई है जो विधि विरूद्व है। बगैर विधिक दस्तावेज के तथा बगैर विधिवत प्रकिया अपनाये नामांतरण नहीं किया जा सकता है। जिससे संशोधन पंजी कमांक 18 पर पारित आदेश निरस्त करने योग्य है।

4— यह कि संशोधन पंजी कमांक 22 के अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट है कि पंजी पर केता एवं बिकेता के हस्ताक्षर नहीं हैं, इश्तहार का प्रकाशन होना भी नहीं पाया जाता है, मात्र बिकय पत्र के आधार पर पटवारी की टीप के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है, नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त नामांतरण की प्रकिया विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। निगरानी के साथ जो आवेदिका कमांक 02 का आधार कार्ड एवं बिकय पत्र दिनांक 03/02/2016 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, उनका अवलोकन किया गया, बिकय पत्र में संलग्न फोटो एवं आधार कार्ड में संलग्न फोटो अलग अलग प्रतीत होतीं हैं, जिससे प्रकिया संदेहास्पद हो जातीं है। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में हल्का पटवारी की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसे हल्का से पृथक कर उसके बिरूद्व भी विभागीय जांच संस्थित की जाकर कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है। संदिग्ध बिकय पत्र दिनांक 03/02/2016 की जांच भी सक्षम बरिष्ठ अधिकारी से कराई जाना अति आवश्यक है, जो आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर पर कलेक्टर एवं पुलिस अधिक्षक सागर द्वारा कराई जाबे।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, दोंनों संशोधन पंजियों कमाशः 18 एवं 22 पर पारित आदेश दिनांक कमाशः 18/01/2016 एवं 24/02/2016 निरस्त किये जाते हैं, संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वादभूमि पर आवेदक कमांक एक हरिसिंह का नाम पूर्ववत दर्ज किया जाबे। राजस्व मंडल का यह प्रकरण परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य